



प्रेस नोट

थाना – हापुड नगर

दिनांक 20.10.2022

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 933/16 धारा 363,366ए,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

सिद्धदोष अपराधी का नाम व पता:-

योगेश कश्यप पुत्र सतीश कश्यप निवासी मेडीकल मार्केट, कंजरी सराय गर्ग मेडीकल वाली गली जनपद मुरादाबाद ।